न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 106/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन सं0– RCMSON22033204 के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक– 414, दिनांक– 05.04.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक राधानाथ महतो, पिता– स्व0 तिलकधारी महतो, साकिन– बरवाडीह, थाना– राजगंज, जिला– धनबाद, अपनी जमीन मौजा– कारीटाँड़, मौजा नं0– 196, गत् खाता सं0– 07, गत् प्लॉट सं0– 193, हाल खाता सं0– 72, हाल प्लॉट सं0– 577, रकवा– 23 डिसमील भूमि 1. बिनोद कुमार महतो, 2. गोविन्द कुमार महतो, पिता– देवीलाल महतो, साकिन– छत्रुटाँड़, थाना– महुदा, जिला– धनबद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा विक्रेता थाना– राजगंज एवं क्रेता थाना– महुदा, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 52.02 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा 46 (1)(b) के तहत् आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

02/5/24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

02/05/24.

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2024.07.02 14:58:57 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner